



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4473

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43742 वर्ष 2025

देव उर्फ रघुनाथ

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आशुतोष गुप्ता, वंदना गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. राय और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए.-I की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 874/2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 75 और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 9एम, 9पी/10 के अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत, पुलिस स्टेशन हाईवे, जिला मथुरा में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक ने न तो पीड़िता की मर्यादा भंग की है और न ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि इस कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के माता-पिता ने आवेदक को पांच महीने की कोचिंग फीस नहीं दी थी और नाराज होकर उन्होंने आवेदक पर एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे फंसा दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक को किसी भी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया था, जो अभियोजन पक्ष की कहानी को झूठा साबित करता है। आवेदक 28.09.2025 से जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनका निवेदन है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उनके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत के लिए प्रार्थना की गई है।

माननीय एजीए ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **देव उर्फ रघुनाथ** को, उल्लेखित अपराध संख्या में, जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

8 जनवरी 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।